भारत सरकार

स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय

स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण विभाग

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 904

28 जुलाई, 2015 को पूछे जाने वाले प्रश्‍न का उत्‍तर

**पश्चिमी बंगाल में सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों का खोला जाना**

**904. श्री मो॰ नदीमुल हकः**

**क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का पश्चिमी बंगाल राज्य में सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रगति की गई है;

(ग) पश्चिमी बंगाल को विगत दो वर्षों के दौरान संक्रमणीय बीमारियों की रोकथाम के लिए कितनी सहायता प्रदान की गई है;

(घ) क्या यह सच है कि राज्य में केन्द्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(च) सरकार द्वारा विगत दो वर्षों के दौरान राज्य में चिकित्सीय शिक्षा हेतु कितना व्यय किया गया है?

उत्‍तर

स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण राज्‍य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाइक )

(क) एवं (ख): जी हाँ। इस मंत्रालय के पास पश्चिम बंगाल राज्य में एम्स के समान एक संस्थान की स्थापना करने की योजनाएं है।

वर्ष 2014-15 का बजट प्रस्तुत करते समय माननीय वित्त मंत्री ने पश्चिम बंगाल सहित 4 राज्यों में एम्स की स्थापना करने की घोषणा की है।

पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार से भूमि की पहचान करने और लगभग 200 एकड़ उपयुक्त भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है जो राज्य में एम्स के जैसा सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल और शिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए प्राथमिक आवश्यकता है। राज्य सरकार ने स्थलों की पहचान की है और सुझाव दिया। एक केंद्रीय दल द्वारा पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा प्रस्तावित स्थलों का दौरा किया गया तथा इस मंत्रालय ने उक्त परियोजनार्थ पश्चिम बंगाल में कल्याणी स्थित स्थल को अंतिम रूप दिया गया है। सचिव (व्यय), वित्त मंत्रालय की अध्यक्षता में दिनांक 12-06-2015 को ईएफसी के समक्ष एक प्रस्तुतिकरण भी दिया गया।

(ग): सरकार ने गत 2 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल को राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए निम्नानुसार वित्तीय सहायता जारी की है:

(लाख रूपए में)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| वर्ष | नकद | सामग्री | कुल |
| 2013-14 | 1808.91 | 876.16 | 2685.07 |
| 2014-15 | 1891.18 | 1300.50 | 3191.68 |
| 2015-16 | 2156.70 | 312.10 | 2468.80 |

विगत दो वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य को जारी सहायता अनुदान का ब्यौरा निम्नलिखित है:

2013-14 - 216.90 लाख रूपए

2014-15 – 210.14 लाख रूपए

(घ) और (ड.): मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा संचालित अस्पताल अर्थात चितरंजन राष्ट्रीय संस्थान में रिक्ति की स्थिति नीचे दी गई है:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| पद का नाम | स्वीकृत पदों की संख्या | फिलहाल रिक्त पद |
| चिकित्सा अधीक्षक | 01 | 01 |
| विशेषज्ञ ग्रेड II | 30 | 13 |
| जीडीएमओ | 13 | 03 |

रोगी परिचर्या सेवाओं का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए रिक्त पदों के भरे जाने तक सरकारी नियमों का अनुसरण करते हुए अंतरिम उपाय के रूप में रिक्त पदों पर संविदा आधार पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की जा रही है।

(च): विगत 2 वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार को चिकित्सा के क्षेत्र में कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है।

.....